10/3/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.
प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय-
लिखा गया। पृथक से फैसला।
निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/435

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.18 16:02:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी: संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 184/2024 GCMS-2024/435 दायर दिनांकः– 19.07.2024

कृष्णचन्द्र पुत्र श्री हरीराम जाति मेघवाल साकिन चक 4 डी डब्ल्यू एम हाल रिद्धि सि0 कॉलोनी , वार्ड नं0 01 श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर राज0

———प्रार्थी

बनाम

1– रामस्वरूप पुत्र श्री हरीराम जाति मेघवाल साकिन चक 4 डी डबल्यू एम हाल रिद्धि सि0 कॉलोनी , वार्ड न0 01 श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर राज0

2– पृथ्वीराज पुत्र श्री हरीराम जाति मेघवाल साकिन चक 4 डी डबल्यू एम हाल रिद्धि सि0 कॉलोनी , वार्ड न0 01 श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर राज0

3–राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर टी ए

उपस्थित :–

1– श्री प्रमेन्द्रसिंह भाटी अभिभाषक प्रार्थी

2– पैराकार राज तहसीलदार सूरतगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

–:– निर्णय –:–

दिनांकः– 10.03.2025

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी , अप्रार्थी न0 2 एवं पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से भूमि वाके चक 4 डी डब्ल्यू एम के खाता सं0 8/45 के प0न0 157/28 मु0न0 71 के किला न0 1 ता 9/1 में 2.066 है0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है । अप्रार्थी न0 1 के नाम से भूमि वाके चक 4 डी डब्ल्यू एम के खाता सं0 85/45 के प0न0 157/28 मु0न0 71 के किला न0 17/2 ता 25/2 में 2.066 है0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है। अप्रार्थी नं0 2 के नाम से खातेदारी भूमि वाके चक 4 डी डब्ल्यू एम के खाता सं0 38/45 के प0न0 157/28 मु0न0 71 के किला न0 9/2 ता 17/1 में 2.066 है0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है । प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए अप्रार्थी सं0 1 की भूमि वाके चक 4 डी डब्ल्यू एम के प0न0 157/28 के किला नं0 20 व 21 में होते हुये अप्रार्थी सं0 2 की खातेदारी भूमि किला नं0 10–11 में से मुरब्बा लाईन पर उत्तर से दक्षिण आने जाने हेतू वर्तमान में चालू रास्ता से आवागमन करता आ रहा है । इसी रास्ता को अप्रार्थीगण द्वारा बन्द ना करने व रास्ता में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा ना करने बाबत अप्रार्थी सं0 1 व 2 के द्वारा सहमति–पत्र. दिया गया । लेकिन अप्रार्थी न0 1 व 2 की भूमि प0न0 157/28 के किला नं0 20–21– 10–11 में वर्तमान में चालू रास्ता स्वीकृत नही है। उक्त चालू रास्ता स्वीकृत शुदा रास्ता न होने के कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी रकबा में आने जाने बाधा है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी न0 1 व 2 की भूमि वाके चक 4 डी डब्ल्यू एम के प0न0 157/28 के किला नं0 20–21–10–11 प्रत्येक में 0.025 है0 में मुरब्बा लाईन पर पश्चिम पासा उत्तर से दक्षिण में चालू रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया ।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 251 (क) एवं राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 68–70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के सम्बन्ध में उक्त वाद में अंकित तथ्यों की चाही गई रिपोर्ट भू–अभिलेख निरिक्षक एव पटवारी हल्का द्वारा बिन्दुवार मौका जांच रिपोर्ट एवं नक्शा तैयार कर भिजवाई गई।

रिपोर्ट के पश्चात प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी न0 2 स्वय न्यायालय में उपस्थित हुआ। अप्रार्थी न0 1 बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस उपस्थित नही हुआ इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की गई ।

अप्रार्थी सं0 2 द्वारा सहमति–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी अपनी भूमि के किला न0 8/1 मं 0.008 है0 दक्षिण पासा पूर्वी से पश्चिम , किला नं0 9/1 में 0.042 है0 भूमि रास्ता के बदला में लेकर अपनी भूमि किला न0 11 में 0.022 है0 (पूर्वी पासा में 16.5फुट [illegible] दक्षिण पासा पूर्व से पश्चिम , 12/0.025 है0 दक्षिण पासा पूर्व से पश्चिम एवं किला नं0 13/0[illegible] है0 [illegible] पासा (16.5फुट तक) कुल 0.050 है0 भूमि अप्रार्थी न0 1 को देकर अप्रार्थी न0 1 की किला न0 [illegible] 21 प्रत्येक में 0.025 है0 पश्चिम पासा उतर से दक्षिण रास्ता एवं अपनी भूमि किला न0 10–1[illegible] प्रत्येक में 0.025 है0 पश्चिम पासा उत्तर से दक्षिण स्वीकृत करने का निवेदन किया गया ।

इसके पश्चात प्रार्थी एवं पेरोकार राज की बहस [illegible]ी गई । जिसमें प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि चक 4 डी डब्ल्यू एम के खाता सं0 8/45 के प0न0 157/28 मु0न0 71 के किला न0 1 ता 9/1 में 2.066 है0 खातेदारी भूमि , अप्रार्थी न0 1 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.18 16:02:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

नाम से भूमि वाके चक 4 डी डब्ल्यू एम के खाता सं0 85/45 के प0न0157/28 मु0न0 71 के किला न0 17/2 ता 25/2 में 2.066 है0 खातेदारी भूमि एवं अप्रार्थी न0 2 के नाम से खातेदारी भूमि वाके चक 4 डी डब्ल्यू एम के खाता सं0 38/45 के प0न0 157/28 मु0न0 71 के किला न0 9/2 ता 17/1 में 2.066 है0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है । प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए अप्रार्थी सं0 1 की भूमि वाके चक 4 डी डब्ल्यू एम के प0न0 157/28 के किला नं0 20 व 21 में होते हुये अप्रार्थी सं0 2 की खातेदारी भूमि किला नं0 10-11 में से मुरब्बा लाईन पर उत्तर से दक्षिण आने जाने हेतू वर्तमान में चालू रास्ता से आवागमन करता आ रहा है । इसी रास्ता को अप्रार्थीगण द्वारा बन्द ना करने व रास्ता में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा ना करने बाबत अप्रार्थी सं0 1 व 2 के द्वारा सहमति-पत्र. दिया गया । लेकिन अप्रार्थी न0 1 व 2 की भूमि प0न0 157/28 के किला नं0 20-21- 10-11 में वर्तमान में चालू रास्ता स्वीकृत नही है। उक्त चालू रास्ता स्वीकृत शुदा रास्ता न होने के कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी रकबा में आने जाने बाधा है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी न0 1 व 2 की भूमि वाके चक 4 डी डब्ल्यू एम के प0न0 157/28 के किला न0 20-21-10-11 प्रत्येक में 0.025 है0 में मुरब्बा लाईन पर पश्चिम पासा उत्तर से दक्षिण में चालू रास्ता स्वीकृत किया जावे । इसके बदला में प्रार्थी के किला नं0 8/1 में 0.008 है0 दक्षिण पासा पूर्व से पश्चिम , किला न0 9/1 में 0.042 है0 कुल 0.050 है0 भूमि प्रार्थी के नाम से कलमजन कर अप्रार्थी न0 2 के नाम दर्ज की जावे एवं अप्रार्थी न0 2 के नाम किला नं0 11/0.022 है0 (पूर्वी पासा में 16.5 फुट छोड़कर) दक्षिण पासा पूर्व से पश्चिम, 12/0.025 है0 दक्षिण पासा पूर्व से पश्चिम एवं किला नं0 13/0.003 है0 दक्षिण पासा (16.5 फुट तक) अप्रार्थी न0 2 के नाम कलमजन कर अप्रार्थी न0 1 के नाम दर्ज की जावे। इसके साथ साथ तहसीलदार राजस्व सूरतगढ एवं भूअभिनिरीक्षण की रिपोर्ट भी पत्रावली में सम्मलित है जिससे पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि प्रार्थी को वैक्लपिक रास्ते का अभाव है। तथा रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी के रकबा में जाने के लिए उक्त जैरवाद वाद रकबा में चल रहा रास्ता ही आवागमन का माध्यम है। इसके अलावा प्रार्थी को अपने रकबा में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। जिसे स्वीकृत करने का निवेदन किया ।

अप्रार्थी सं0 2 के द्वारा सहमति-पत्र प्रस्तुत कर उक्त चालू रास्ता स्वीकृत करने एवं प्रार्थी के किला नं0 8/1 में 0.008 है0 दक्षिण पासा पूर्व से पश्चिम , किला न0 9/1 में 0.042 है0 कुल 0.050 है0 भूमि प्रार्थी के नाम से कलमजन कर अप्रार्थी न0 2 के नाम दर्ज की जावे एवं अप्रार्थी न0 2 के नाम किला नं0 11/0.022 है0 (पूर्वी पासा में 16.5 फुट छोड़कर) दक्षिण पासा पूर्व से पश्चिम, 12/0.025 है0 दक्षिण पासा पूर्व से पश्चिम एवं किला नं0 13/0.003 है0 दक्षिण पासा (16.5 फुट तक) अप्रार्थी न0 2 के नाम कलमजन कर अप्रार्थी न0 1 के नाम दर्ज किये जाने की सहमति प्रस्तुत की गई।

उभय पक्षो की बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया एवं उपलब्ध दस्तावैजो तथा तहसीलदार राजस्व सूरतगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के नाम से खातेदारी भूमि वाके चक 4 डी डब्ल्यू एम के खाता सं0 8/45 के प0न0 157/28 मु0न0 71 के किला न0 1 ता 9/1 में 2.066 है0 खातेदारी भूमि को किसी भी प्रकार का कोई भी वैक्लपिक रास्ता नही है। अप्रार्थी सं0 1 की भूमि वाके चक 4 डी डब्ल्यू एम के प0न0 157/28 के किला नं0 20 व 21 में एवं अप्रार्थी सं0 2 की खातेदारी भूमि किला नं0 10-11 में से मुरब्बा लाईन पर उत्तर से दक्षिण आने जाने हेतू वर्तमान में चालू रास्ता आवागमन का एक मात्र माध्यम है। पत्रावली में प्रस्तुत भू अभिलेख निरिक्षक द्वारा बिन्दूबार मौका जांच रिपोर्ट एवं नक्शा के अवलोकन से ही पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है तथा वैक्लपिक रास्ता का अभाव है। प्रार्थी के रकबा को किसी प्रकार का कोई भी अन्य कोई रास्ता नही लगता है। उक्त चालू रास्ता स्वीकृत किया जाना सही है। इसलिए उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

उक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 की भूमि वाके चक 4 डी डब्ल्यू एम के प0न0 157/28 के किला न0 20 व 21 प्रत्येक में 0.025 है0 पश्चिमी पासा उतर से दक्षिण , अप्रार्थी सं0 2 की खातेदारी भूमि किला न0 10-11 प्रत्येक में 0.025 है0 पश्चिमी पासा उतर से दक्षिण खातेदारी भूमि कलमजन कर गै0मु[illegible] प्रार्थी के किला नं0 8/1 में 0.008 है0 दक्षिण पासा पूर्व से पश्चिम , किला न0 9/1 में [illegible]42 [illegible] कुल 0.050 है0 भूमि प्रार्थी के नाम से कलमजन कर अप्रार्थी न0 2 के ना[illegible] 2 के नाम किला नं0 11/0.022 है0 (पूर्वी पासा में 16.5 फुट छोड़कर) [illegible] 12/0.025 है0 दक्षिण पासा पूर्व से पश्चिम एवं किला नं0 13/0.003 [illegible] (16.5 फुट तक) अप्रार्थी न0 2 के नाम कलमजन कर अप्रार्थी न0 1 के नाम दर्ज़ किये जाने आदेश दिया [illegible] है । पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय, आज दिनांक 10·03·25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.18 16:02:58 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

क्रमांक / राजस्व/104/24/1634 दिनांक :– 12.03.2025

तहसीलदार राजस्व
सूरतगढ

विषयः–अनवान प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) प्र0 सं0 184 /2024 अनवान कृष्णचन्द्र बनाम रामस्वरूप वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 10.03.25 की पालना करने हेतू ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 की भूमि वाके चक 4 डी डब्ल्यू एम के प0न0 157/28 के किला न0 20 व 21 प्रत्येक में 0.025 है0 पश्चिमी पासा उतर से दक्षिण , अप्रार्थी सं0 2 की खातेदारी भूमि किला न0 10–11 प्रत्येक में 0.025 है0 पश्चिमी पासा उतर से दक्षिण खातेदारी भूमि कलमजन कर गै0मु0 रास्ता के नाम अंकन करने व प्रार्थी के किला नं0 8/1 में 0.008 है0 दक्षिण पासा पूर्व से पश्चिम , किला न0 9/1 में 0.042 है0 कुल 0.050 है0 भूमि प्रार्थी के नाम से कलमजन कर अप्रार्थी न0 2 के नाम दर्ज किये जाने एवं अप्रार्थी न0 2 के नाम किला नं0 11/0.022 है0 (पूर्वी पासा में 16.5 फुट छोड़कर) दक्षिण पासा पूर्व से पश्चिम, 12/0.025 है0 दक्षिण पासा पूर्व से पश्चिम एवं किला नं0 13/0.003 है0 दक्षिण पासा (16.5 फुट तक) अप्रार्थी न0 2 के नाम कलमजन कर अप्रार्थी न0 1 के नाम दर्ज किये जाने आदेश दिया जाता है । किसी समक्ष न्यायालय द्वारा कोई स्थगन नही होने पर नियमानुसार स्वीकृत किये गये रास्ता का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाई जावे ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ, (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.18 16:02:58 IST
Reason: SelfAttested